न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./19/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. अचलाराम पुत्र गोमाराम 2. थानाराम पुत्र गोमाराम 3. हनुमानराम पुत्र गोमाराम फौत के का. मु.– 3/1. गोरधनराम पुत्र हेनुमानराम 3/2. पूरो देवी पुत्री हनुमानराम 3/3. धोली चौधरी पुत्री हनुमानराम 3/4. नवली देवी पुत्री पुत्र हनुमानराम, जाति जाट, निवासी सेंवरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. वागाराम पुत्र खेताराम 2. बाबूराम पुत्र खेताराम 3. भोमाराम पुत्र खेताराम 4. रामाराम पुत्र खेताराम 5. तीजों देवी पत्नी खेताराम 6. लाभूराम पुत्र दुर्गाराम 7. हुकमाराम पुत्र दुर्गाराम, जाति जाट, निवासी सेंवरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 8. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक, शाखा भूंका भगतसिंह 9. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सिणधरी 10. राज. राज्य जरिये तहसीलदार, सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2022 बउनवान वागाराम वगैरह बनाम अचलाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के. मेराजा रेस्पो. संख्या 01 से 05 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांकः—30.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 05 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा सेंवरों की ढाणी, पटवार क्षैत्र डंडाली, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 657/313 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 314 रकबा 26.4219 हेक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 9.6028 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 05 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा सेंवरों की ढाणी, पटवार क्षैत्र डंडाली, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 657/313 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 314 रकबा 26.4219 हेक्टेयर, खसरा संख्या 316 रकबा 9.6028 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है, जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुसार प्रतीत नहीं होता है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया जाना होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के विहित प्रावधानों से परे जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में मौके पर आए बिना ही प्रार्थी/रेस्पों. को नाजायज फायदा पहुंचाने के इरादे से मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के खसरा संख्या 314 को दो टुकड़ों में विभक्त करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा बाधित है। प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर रास्ता नहीं है। यहां से रेस्पों. संख्या 1 द्वारा कभी भी आवागमन नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो निकटतम दूरी का होने के बाद भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेन्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य विकल्प अधिक दूरी के होने से प्रस्तावित रास्ता सुगम होने से मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए अपीलांट के उक्त प्रश्न का कोई सार नहीं है। अपीलाधीन रास्ते के एवज में रेस्पों. द्वारा अपीलांट को क्षतिपूर्ति राशि जमा करवा दी गई है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन हो गया है। जहां तक मौकें पर आकर मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रश्न है उक्त के संबंध में निवेदन है कि तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है। अतः अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में तलब द्वित्तीय मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 में स्पष्ट अंकन है कि "खसरा संख्या 314 के दो टुकड़े कर रास्ता दिये जाने पर खातेदार काश्तकार को आपत्ति है" तब भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट के खेत खसरा संख्या 314 को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होने से हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35/2022 बउनवान वागाराम वगैरह बनाम अचलाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर जोत को टुकड़ों में विभक्त किये बिना वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

30/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर